

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर
क्रमांक: अराज/टी.सी./31972/2025//53 दिनांक: 17.04.2025

--::आदेश::--

निदेशालय के आदेश क्रमांक 05 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा नव चयनित नर्सिंग ऑफिसर के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे, में क्रम संख्या 2273 पर श्रीमती ज्योति परमार का पदस्थापन सीएचसी हरसानी, बाडमेर किया गया था।

एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1422/2025 ज्योति परमार बनाम राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 के निर्णय की पालना में श्रीमती परमार का पदस्थापन स्थान सीएचसी हरसानी, बाडमेर के स्थान पर ट्रोमा सेन्टर फतेहनगर, उदयपुर संशोधित किया जाता है। शेष शर्तें यथावत।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक: अराज/टी.सी./31972/2025//53

दिनांक: 17/04/25

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर।
6. स्थाई केस अधिकारी प्रभारी राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर।
7. संबंधित नियंत्रण अधिकारी।
8. संबंधित कार्मिक को द्वारा नियंत्रण अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सभी संबंधित को ई-मेल करें।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :16-04-2025 03:34:09